आट और साइकल मरम्मत की दुकानों, घरेलू कामों, फटे-पुराने कपड़े और अन्य बेकार वस्तुएं एकत्र करने तथा जूते पालिश करने के कामों में लगे बच्चों का कार्य-समय अधिक घन्टों का होता है, उनकी आय कम होती है, दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधि-नियम के अधीन रजिस्टर्ड दुकानों आदि को छोड़कर अन्य जगह उनको कानूनी संरक्षण नहीं मिलता ; अधिकतर मामलों में कार्य स्थान पर असंतोषजनक वातावरण होता है ; आदि। कुछ बच्चे अंशकालिक काम करते हैं जैसे शाम को अखबार बेचना या घरों में दूध का वितरण करना। कुछ मामलों में इस आय से बच्चे को अपने शिक्षा के व्यय में मदद मिलती है।

(9) 39.7 प्रतिशत काम करने वाल बच्चे अशिक्षित हैं, 7.3 प्रतिशत शिक्षित हैं, परन्तु उनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, और 53 प्रतिशत ने प्राइमरी स्तर तक या अधिक शिक्षा पाई है। व्यावसायिक अध्ययन से पता चला है कि फटे-पुराने कपड़े एकत्र करने वाले और चाय की दुकानों और ढाबों में काम करने वाल बच्चों की अपेक्षा आटो और साइकल मरम्मत करने वाली वर्कशापों में और घरेलू काम करने वाले बच्चे अधिक शिक्षा प्राप्त हैं।

(10) काम करने वाल बच्चों की काफी संख्या ऐसी है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है। बच्चों को प्रशिक्षण के लिये अवसर प्रदान करने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल करने के लिये एप्रेन्टिस एक्ट में संशोधन करने और श्रम कानून को लागू करने के बारे में सुझाव दिये गए हैं।

जौ की नई किस्म

56. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 अप्रैल, 1976 को 'नवभारत टाइम्स' में 'जौ की बौनी किस्म का विकास' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित यह समाचार सच है कि डी० एल० 70 जौ की एक हैक्टर में 50 क्विंटल पैदावार होती है और एच० डी० 2160 और एच० डी० 2122 गेहूं की एक एकड़ में सात टन पैदा-वार होती है ;

(ख) क्या ठीक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृषि और सिंचाई मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अनेक पत्र लिखे गये परन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ;

(ग) क्या इस का बीज प्राप्त करने के लिये भी लिखित में कई बार मांग की गई परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) उक्त समाचार में प्रकाशित उपज के आकड़े जौ की डी० एल० 70 किस्म की मोटे तौर पर उपज क्षमता दर्शाते हैं। विभिन्न जांचों में, इस किस्म ने अपनी उपज क्षमता 5 टन प्रति हैक्टर दिखाई, जबकि गेहूं की दो किस्मों-एच० डी० 2160 तथा एच डी० 2122 ने परीक्षण के खेतों में लगभग 6 टन प्रति हैक्टर तक उपज दी।

(ख) माननीय सदस्य के कुछ पत्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में प्राप्त हुए जिनमें उन्होंने इन किस्मों के बीजों को मांगा था माननीय सदस्य को 28 जून, 1976 तथा 28 अक्टूबर, 1976 को उत्तर भेजे गये थे।

(ग) माननीय सदस्य ने इन किस्मों के बीजों की मांग की थी, किन्तु 28 जून, 1976 के पत्र द्वारा उनको यह सूचना दी गई थी कि ये नई कि में अभी 'मिनि किट ट्रायल' की स्थिति में हैं। अतः इन किस्मों के बीज बिक्री के लिये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने, मार्च 1977 में माननीय सदस्य को एक पत्र लिखा था कि इन बीजों के नमूनों के पैकिट वे फसल उठ जाने के बाद उनको भेजेंगे। इस सम्बन्ध में, इससे आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

Reversion of F.C.I. Employees to Parent Departments

57. SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether many employees serving under Food Corporation of India for many years have been asked to go back to their parent departments in different States; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL): (a) Yes Sir.

(b) F.C.I. (Staff) Regulations provide for *ad hoc* appointments by deputation of suitable officials from the Central or State Governments or from any public sector undertaking for a period normally not exceeding three years but extendable upto five years or more where necessary. Such deputationists are repatriated to their parent departments on completion of their term from time to time.

In the case of West Bengal only, the over-whelming bulk of staff are on deputation from the State Government who have been transferred to the Food Corporation of India along with the work in accordance with the written agreement between the State Government and the Food Corporation of India. Such staff would continue to be on deputation to the Food Corporation of India as long as the FCI operates in the State as an agent of the State Government in terms of the Agreement.

Break up of Ownership of Land

58. SHRI B. C. KAMBLE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) total number of Indians, having either no land or less than an acre of land in each State;

(b) whether the number of such people is increasing or decreasing and the reasons therefor in each State; and

(c) steps Government propose to take to do social justice in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL): (a) Total number of Indians having either no land or less than one acre of land in each State is not available. According to the sample surveys organised by the National Sample Survey Organisation number of households having either no land or less than one acre of land are available for the period 1960-62 (16th and 17th Round) and for 1971-72 (26th Round). Statewise number of households owning no land or less than one acre of land as available from the National Sample Survey reports is given in the enclosed Statement.

(b) As per the figures available from the National Sample Surveys Reports, the number of households having either no land or less than an acre of land has increased from 46.5 millions in 1960—62 to 55.3 millions in 1971-72. At the All India level, the number of households owning no land or less than one acre of land has increased in 1971-72 by 18.9 per cent over 1960—62. This is mainly due to